उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-282/2018 /यू0ओ0-62/71-1-2018-जी0-144/2011

लखनऊ: दिनांक : 01 नवम्बर, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

डॉ0 विपुल सिंह, जों पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारी है, को मेडिकल कॉलेज, कानपुर में प्रवक्ता साइक्रियाट्री के रिक्त पद के सापेक्ष सेवा स्थानांतरण के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-2471/71-1-2009-क-83/2009, दिनांक 26.08.2009 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जों भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किया गया था| डॉ0 विपुल सिंह कि सेवा स्थानांतरण अवधि प्रतिवर्ष 01-01 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी है|अंतिम बार सेवा स्थानांतरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-यू0ओ0-05/71-1-2016-7(259)/2014, दिनांक 21.02.2017 द्वारा 01 वर्ष के लिए के लिए बढ़ाई गयी थी जों दिनांक 28.07.2017 को समाप्त हो गयी है| कार्यालय ज्ञाप संख्या-यू0ओ0-05/71-1-2016, दिनांक 26.02.2016 द्वारा सह-आचार्य के रूप में पदनामित किया गया है|

2-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-02/2018/41 द्वारा कि गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय डॉ0 विपुल सिंह, सह-आचार्य, साइक्रियाट्री(सेवा स्थानांतरण), मेडिकल कॉलेज, कन्नौज की दिनांक 27.07.2017 से दिनांक 27.07.2018 तक सेवा स्थानांतरण के आधार पर कि गयी सेवा की कार्योत्तर स्वीकृति तथा उनकी सेवा स्थानांतरण अवधि दिनांक 27.07.2018 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जों भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते है|

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-282/2018/यू0ओ0-62(1) 71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज एवं कानपुर ।

5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज,, कन्नौज एवं कानपुर ।

6- कोषाधिकारी, कन्नौज एवं कानपुर ।

7- चिकित्सा अनुभाग-3

8- संबंधित चिकित्सक।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।